राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(13) आरडी / नरेगा / ग्री.रा. / पार्ट–2 / 2009–10 जयपुर दिनांकः– 25 AUG 2009

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत हरित राजस्थान योजना में पौधों की सुरक्षा के सबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत हरित राजस्थान योजना में बड़े पैमाने पर पौधें लगाये जा रहे है। इन लगाये जा रहे पौधों की सुरक्षा भी अतिआवश्यक है। प्रथम चरण में पौधे यथासभंव ऐसे स्थानो पर लगाये जाये जहॉ पर चार दीवारी बनी हुई हो अथवा पौधे की सुरक्षा की अन्य कोई व्यवस्था उपलब्ध हों, ताकि ट्री–गार्ड की आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसे स्थानों पर जहॉ पौधों की सुरक्षा के लिए अन्य सुविधा उपलब्ध न हो, ऐसे स्थानों पर पौधों की सुरक्षा के लिए सीमेन्ट कंकरीट के ट्री–गार्ड काम में लिये जाये, जिनकी अनुमानित लागत लगभग रुपये 400/– है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जावें कि जिला स्तर पर सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय न हों।

भवदीय,

21/8

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशाषी अभियंता (वी) (नरेगा)